

न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक :- ०४/अ-20(३)/2021-22

म.प्र.शासन,

वन विभाग

आवेदक

विरुद्ध

सर्वसाधारण,

अनावदक

// आदेश //

(पारित दिनांक / /)

(अंतर्गत म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020)



प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि म0प्र0 सम्भागीय प्रबंधक म0प्र0 सडक विकास निगम 45-ए अरेरा हिल्स भोपाल के पत्र क्रमांक 23954/एमपीआरडीसी/डी.एम./भोपाल/2021 भोपाल दिनांक 22/01/2021 के माध्यम से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 अन्तर्गत सिद्धीकगंज हाट पिपलिया सडक चौडीकरण कार्य में वन विभाग की प्रभावित रकबा 3.720 हे के बदले ग्राम घुराडा कला स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1/1/क रकबा 9.247 हे0 में से 7.44 हे0 वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से अध्याय-2 निर्देश-13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 में विहित प्रक्रिया अनुरार जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3. तहसीलदार जावर/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ, आपत्ति आमरण हेतु इशतहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरांत नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संमालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत प्राप्त गया। नियत समयावधि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने प्रतिवेदित किया गया।

तहसीलदार जावर के आदेश पारित दिनांक 18-10-2021 में उल्लेखित वन संरक्षण नियम 2003 की निर्देशक 2 कोषक 2.3 (i) के पालन में

सड़क चौड़ीकरण में उपयोग की गई 3.72 हे० वन भूमि के समतुल्य ग्राम घुराडा कला स्थित राजस्व भूमि सर्वे क्रमांक 1/1/क रकबा 9.247 हे० नोईयत शासकीय में से 3.720 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण प्रेषित किया गया है।

क	खसरा क्रमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तान्तरित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1/1/क	शासकीय	9.247	3.72
	कुल किता-1		9.247	3.72



अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 अध्याय-2 नियम-14 अंतर्गत जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा सर्वे क्रमांक 1/1/क रकबा 9.247 हे० नोईयत शासकीय में से 3.720 हे० कुल किता-1 रकबा 3.72 हे० शासकीय भूमि हस्तांतरण हेतु सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5. प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के प्रतिवेदन से सहमत होकर, विचारोपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका-14 अन्तर्गत ग्राम घुराडा कला तहसील जावर जिला सीहोर की निम्न सारणी अनुसार शासकीय भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाती हैं।

क	खसरा क्रमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तान्तरित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1/1/क	शासकीय	9.247	3.72
	कुल किता-1		9.247	3.72

शर्त :-

- आवंटित भूमि का उपयोग वन विभाग के वृक्षारोपण हेतु ही किया जाएगा।
- आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः राक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)

कलेक्टर, सीहोर

पृ०क्रमांक / १५ / जूज / २२

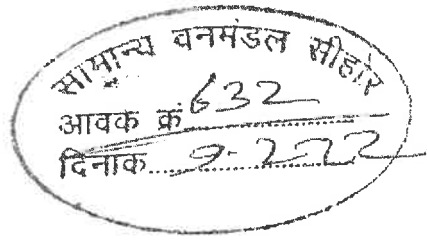
सीहोर, दिनांक ०३/०२/२०२२

प्रतिलिपि:-

- सम्भागीय प्रबंधक एम०पी०आर०डी०सी० भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- वनमंडलाधिकारी, सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।।
- अनुविभागीय अधिकारी(रा)आष्टा/तहसीलदार, जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखा में अमल कराना सुनिश्चित करें। पालन उपरांत अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)

कलेक्टर
जिला सीहोर



कार्यालय

सामान्य वनमंडल सीहोर

सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.) 466001

Mob-9424790850 E-mail :- dfof.seh@mp.gov.in

सीहोर, दिनांक ०३/०२/२०२२

पृ.क्रमांक/मा.चि./२०२२/ १३३७

प्रतिलिपि:-

- उप वनमंडलाधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- वनपरिक्षेत्राधिकारी आष्टा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि उक्त हस्तांतरित भूमि के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुवार कार्यवाही कर अपना अभिमत ०३ दिवस में प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
 - उक्त हस्तांतरित भूमि अतिक्रमण रहित हो तथा वृक्षारोपण एवं वन प्रबंधन कि दृष्टि से उपयुक्त है।
 - प्रस्तावित भूमि की वन सीमा से दूरी।
 - प्रस्तावित हस्तांतरित भूमि की KML file तैयार कर प्रेषित करें।
 - आपका स्वयं का स्थल निरीक्षण एवं उपयुक्ता प्रमाण पर निरीक्षण दिनांक सहित प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

सामान्य वनमंडल सीहोर



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

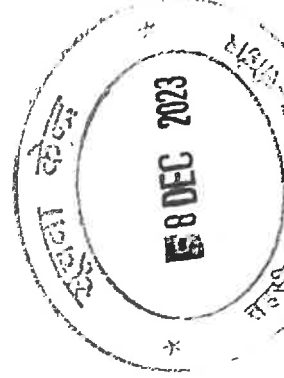
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11086797326



ग्राम: धुराडकला			पटवारी हत्का: धुराडकला		तहसील: जावर		जिला: सीहोर		वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की शीट नं.	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/शीट नं.)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृपक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्राकियाधीन	फसल के ब्यारे फसल के अधीन 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	वर्ष के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टि में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156796 4878 80QV2 HD9H0 PNH0	1/17/ 2 (S)		3.7200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0004/अ-20(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 03/02/2022 के अनुसार दिनांक 20/09/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। प्रकरण क्र. 0895/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 13/11/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं. 1/1/क से 1/1/7 में परिवर्तित। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0004/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 03/02/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। बेजा कब्जा न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण 0008/अ-20(3)/2021-22 आदेश दिनांक 03/02/2022 के अनुसार भूमि सर्वे क्र 9/9/7 रकबा 9.247 मे से 3.720 भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई।



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.12.08 11:22:26 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11086797326